[illegible] दिनांक 27.7.2013

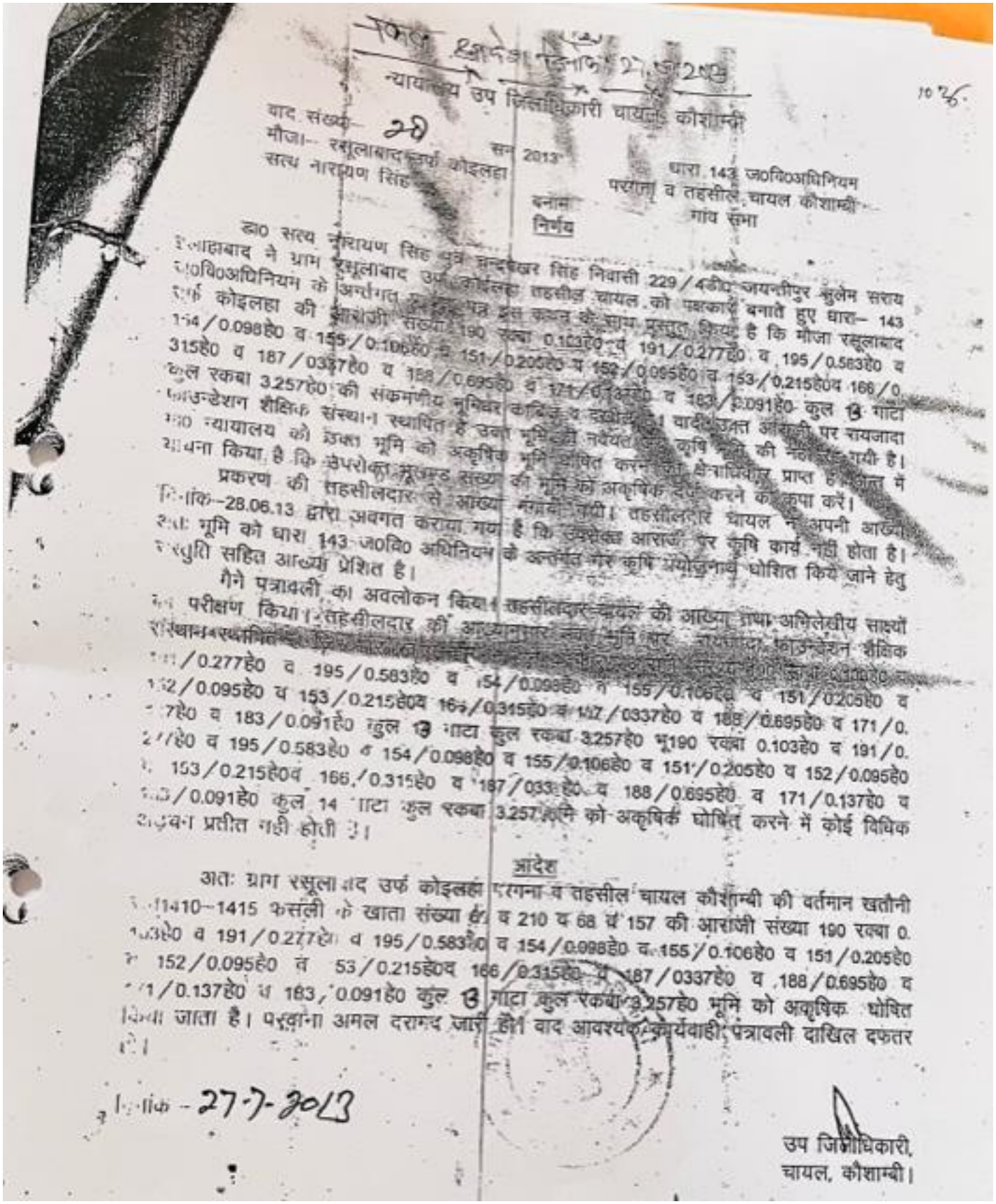

न्यायालय उप जिलाधिकारी चायल कौशाम्बी

वाद संख्या– 28 सन 2013

मौजा– रसूलाबाद उर्फ कोइलहा

सत्य नारायण सिंह

बनाम

धारा 143 ज0वि0अधिनियम

परगना व तहसील चायल कौशाम्बी

गांव सभा

निर्णय

डा0 सत्य नारायण सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह निवासी 229/4डी0 जयन्तीपुर सुलेम सराय इलाहाबाद ने ग्राम रसूलाबाद उर्फ कोइलहा तहसील चायल को पक्षकार बनाते हुए धारा– 143 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत [illegible] पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा रसूलाबाद उर्फ कोइलहा की आराजी संख्या 190 रकबा 0.103हे0 व 191/0.277हे0 व 195/0.583हे0 व 154/0.098हे0 व 155/0.106हे0 व 151/0.205हे0 व 152/0.095हे0 व 153/0.215हे0व 166/0.315हे0 व 187/0337हे0 व 188/0.695हे0 व 171/0.137हे0 व 183/0.091हे0 कुल 13 गाटा कुल रकबा 3.257हे0 की संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। वादी उक्त आराजी पर रायजादा फाउन्डेशन शैक्षिक संस्थान स्थापित है उक्त भूमि ही नवैयत [illegible] कृषि [illegible] की [illegible] गयी है। मा0 न्यायालय को उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त भूखण्ड संख्या की भूमि को अकृषिक दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण की तहसीलदार से आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार चायल ने अपनी आख्या दिनांक–28.06.13 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य नहीं होता है। अतः भूमि को धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजनार्थ घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेशित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार चायल की आख्या तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया। तहसीलदार की आख्यानुसार उक्त भूमि पर रायजादा फाउन्डेशन शैक्षिक संस्थान स्थापित [illegible] 191/0.277हे0 व 195/0.583हे0 व 154/0.098हे0 व 155/0.106हे0 व 151/0.205हे0 व 152/0.095हे0 व 153/0.215हे0व 166/0.315हे0 व 187/0337हे0 व 188/0.695हे0 व 171/0.137हे0 व 183/0.091हे0 कुल 13 गाटा कुल रकबा 3.257हे0 भू190 रकबा 0.103हे0 व 191/0.277हे0 व 195/0.583हे0 व 154/0.098हे0 व 155/0.106हे0 व 151/0.205हे0 व 152/0.095हे0 व 153/0.215हे0व 166/0.315हे0 व 187/0337हे0 व 188/0.695हे0 व 171/0.137हे0 व 183/0.091हे0 कुल 14 गाटा कुल रकबा 3.257हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः ग्राम रसूलाबाद उर्फ कोइलहा परगना व तहसील चायल कौशाम्बी की वर्तमान खतौनी [illegible]1410–1415 फसली के खाता संख्या 69 व 210 व 68 व 157 की आराजी संख्या 190 रकबा 0.103हे0 व 191/0.277हे0 व 195/0.583हे0 व 154/0.098हे0 व 155/0.106हे0 व 151/0.205हे0 व 152/0.095हे0 व 153/0.215हे0व 166/0.315हे0 व 187/0337हे0 व 188/0.695हे0 व 171/0.137हे0 व 183/0.091हे0 कुल 13 गाटा कुल रकबा 3.257हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 27-7-2013

उप जिलाधिकारी,
चायल, कौशाम्बी।